सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

क्रमांक / साख–2 / सी.सी.बी. / 2018 / 643 नया रायपुर, दिनांक 27 / 01 / 2018

— : आदेश :–

(छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55 (1) के उपबंधो के अधीन)

––00––

प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के सेवानियम में संशोधन बाबत कमेटी की रिपोर्ट के अवलोकन से यह समाधान हो गया है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के व्यवसाय में वृद्धि, पेशेवर दृष्टि कोण का विकास, सेवायुक्तों को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने, स्थापना व्यय को निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप रखने, सोसायटी के सेवायुकतों हेतु आर्थिक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा प्रदेश स्तर पर सेवानियम के प्रावधानों में एकरूपता सुनिश्चित करने इत्यादि उददेश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन से सेवायुक्तों हेतु आदर्श सेवानियम विरचित करना संस्थाओं के व्यापक हित में आवश्यक एवं वांछनीय है।

अतएव मैं जे.पी. पाठक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नया रायपुर, छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 55 (1) के उपबंधों के अधीन सहकारी सोसायटियों के नियोजन के निबंधनों तथा शर्तों को शासित करने संबंधी रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तत्संबंध में पूर्व मे जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक / साख–1 / एफ–एफ / 12 / 6925 रायपुर दिनाक 10 अक्टूबर 2012 को अतिष्ठित करते हुए एतद् द्वारा प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के सेवायुक्तों के लिए संलग्न परिशिष्ट के अनुसार "प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों छ.ग. के लिये सेवानियम 2018" विचरित करता हूं तथा समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों को आदेशित करता हूं कि वे उक्त सेवानियम 2018 को सोसायटी की बोर्ड की बैठक में विचारर्थ रखकर अंगीकार करें। उक्त सेवानियम 2018 के प्रावधान संबंधित सोसायटियों द्वारा अंगीकृत कीये जाने की तारिख से प्रभावशील होगें।

सहपत्रः यथोपरि

सही

(जे.पी. पाठक)
पंजीयक
सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ

क्रमांक / साख–2 / सी.सी.बी. / 2018 / 643 नया रायपुर, दिनांक 27 / 01 / 2018

प्रतिलिपि –

01. निज सचिव माननीय मंत्री महोदय, छ.ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, नया रायपुर
02. विशेष सचिव छ.ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय नया रायपुर
03. संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐ संभाग ..... छ.ग.।
04. उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाए ..... छ.ग.।
05. प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी बैक मर्या. रायपुर
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या समस्त छ.ग.
07. अध्यक्ष / प्रबंधक प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटी समस्त छ.ग.
08. अध्यक्ष छत्तीसगढ सहकारी समिति महासंघ रायपुर।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के सेवायुक्तों के लिए सेवानियम 2018

नियम क्र. 01 संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रांरम

1.1 यह सेवा–नियम प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी, सेवा नियम 2018 कहलाएंगा।

1.2 यह सेवा–नियम प्रभावी होने के दिनांक से सोसायटी में जो कर्मचारी कार्यरत है तथा जो कर्मचारी इन सेवा–नियमों के लागू होने के पश्चात नियुक्त होंगे उन पर लागू होगा।

1.3 इन सेवा–नियमों में उल्लेखित किसी तथ्य के होते हुए भी अथवा किसी तथ्य का समावेश न होने की तथा किसी तथ्य के अर्थ में शंका करने की दशा में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छ0ग0० का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

1.4 यह सेवा–नियम प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटी के द्वारा अंगीकृत किये जाने की तारीख से प्रभावशील होंगे।

नियम क्र. 02 परिमाषायें :–

2.1 **"सोसायटी"** से अभिप्रेत है ऐसी सोसायटी जो कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध करने के उद्देश्य से संगठित की गई है और इसके अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायटी ,कृषक सेवा सहकारी सोसायटी, वृहताकार सहकारी सोसायटी और आदिम जाति सेवा सहकारी सोसायटी शामिल है।"

2.2 **"अध्यक्ष"** से अभिप्रेत हैं सोसायटी के बोर्ड के निर्वाचित अध्यक्ष /सभापति या अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जिनके द्वारा अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा हो, निर्वाचित बोर्ड के अस्तित्व में न होने की दशा में प्राधिकृत अधिकारी/ प्रशासक/परिसमापक जिसके द्वारा बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता किया जाता हो।

2.3 **"समिति प्रबंधक''** से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है,जो सोसायटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/पदेन सचिव के दायित्यों के निर्वहन एवं प्रबंधकीय कर्त्तव्यों के निष्पादन हेतु अधिनियम/नियम अथवा सोसायटी की उपविधियों के अधीन नियुक्ति किया गया हो ।

2.4 **"निश्चित वेतन,/मानदेय"** से तात्पर्य किसी कर्मचारी को दी जाने वाली ऐसी राशि से हैं जो उसके द्वारा सोसायटी में धारित पदीय कर्त्व्यों के पालन के एवज में पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता हो।

2.5 वित्तीय वर्ष से तात्पर्य वर्ष जो 01 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है।

2.6 अधिनियम से तात्पर्य छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 से हे।

2.7 नाबार्ड से तात्पर्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से है।

2.8 नियम से तात्पर्य छ.ग. सहकारी सोसायटी नियम 1962 से है।

2.9 "रजिस्ट्रार से तात्पर्य रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, छ.ग. रायपुर से है।

2.10 "उपविधियाँ" से तात्पर्य रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, छ0ग0 रायपुर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत सोसायटी की उपविधि से होगा।

2.11 "बोर्ड" से तात्पर्य है बोर्ड आफ डायरेक्टर्स अथवा सोसायटी का शासी निकाय जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हों जिसे सोसायटी के कियाकलापों का निर्देशन और नियंत्रण का भार सौपा गया हो।

2.12 "कर्मचारी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है,जो सोसायटी में निश्चित वेतन पर नियुक्त किया गया हो।

2.13 "सक्षम अधिकारी" से तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है,जो सेवानियमों के अधीन कर्त्व्य विशेष के निष्पादन हेतु अधिकृत किया गया हो '

2.14 "सकल आय'' से तात्पर्य सोसायटी के लाभ हानि खाते के आय या जमा पक्ष में दर्शित सभी प्रकार के आय के योग से है जिसमे सकल लाभ, निवल अवशेष भी शामिल है।

2.15 "कार्यशील पूंजी" से तात्पर्य है सोसायटी के अंकेक्षित तुलन पत्र में प्रति प्रविष्टियाँ तथा संचित हानि को करने के पश्चात् स्थिति विवरण पत्रक के योग से है।

2.16 ''कुल व्यवसाय '' से तात्पर्य सोसायटी के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक के अनुसार विगत तीन वर्षो में संवितरित ऋण अग्रिम तथा संग्रहित सभी प्रकार के अमानतो के औसत से है।

2.17 ''स्थापना व्यय" से तात्पर्य किसी वित्तीय वर्ष में सोसायटी के समस्त कर्मचारियों (समिति प्रबंधक को शामिल करते हुए) के निश्चित वेतन तथा भत्ते पर हुए कुल व्यय से है।

2.18 संवर्ग समिति प्रबंधक" बैंक संवर्ग स्तर का समिति प्रबंधक से तात्पर्य वित्तदायी बैंक द्वारा नियुक्त समिति प्रबंधक, जिनको प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में समिति प्रबंधक पद पर पदस्थ किया गया हो।

2.19 प्रबंधकीय व्यय" कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य प्रबंधकीय खर्चे शामिल होगा।

नियम क 03. सोसायटी का वर्गीकरणः–

कर्मचारियों की पदवार संख्या निर्धारित करने के लिए सोसायटियों को कारोबार/ व्यवयाय के आधार पर निम्नानुसार चार वर्गो में विभकत किया जाता है –

क्र.	कुल व्यवसाय	सोसायटी का वर्ग
1	रू. 06.00 करोड से अधिक का व्यवसाय	'अ' वर्ग
2	रू 03.00 करोड से रू. 06.00 करोड तक का व्यवसाय	'ब' वर्ग
3	रू. 01.00 करोड से 03.00 करोड तक का व्यवसाय	'स' वर्ग
4	रू. 01.00 करोड से कम का व्यवसाय	'द' वर्ग

कुल व्यवसाय से अभिप्राय विगत 3 वर्षो में संवितरित ऋण/अग्रिम तथा संग्रहित समस्त प्रकार के अमानतों के योग से है जो सोसायटी के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक में दर्शित है। औसत कुल व्यवसाय की गणना निम्नानुसार की जायेगी

औसत कुल व्यवसाय = विगत तीन वर्षो के ऋण/ अग्रिम संवितरण (+) विगत तीन वर्षो में संग्रहित अमानते ÷ 3

नियम क्र. 04 कर्मचारियों का वर्गीकरणः–

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटीयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का निम्नानुसार होगेंः–

01. संवर्ग समिति प्रबंधक/समिति प्रंबधक
02. सहायक समिति प्रबंधक/लेखापाल
03. लिपिक सह कम्प्यूटर आपरेटर
04. विकेता
05. भृत्य/चौकीदार

नियम क्र. 05 कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण –

नियम क्रमांक 03 में प्रावधानित सोसायटियों को वर्गीकरण आधार पर सोसायटी अपने कर्मचारियों की संख्या निर्धारण निम्नानुसार करेगी –

क्र	सोसायटी का वर्गीकरण	समिति प्रबंधक / संवर्ग समिति प्रबंधक	लेखापाल / सहायक समिति प्रबंधक	लिपिक सह कम्प्युटर ऑपरेटर	भृत्य / चौकीदार	विक्रेता	अतिरिक्त कर्मचारी सहायक समिति प्रबधक तथा लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर
1	वर्ग अ (6रू करोड से अधिक का व्यवसाय)	1	2	3	2	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित प्रत्येक दुकान के लिये एक विक्रेता की नियुक्ति की जा सकेगी	प्रत्येक 3 करोड के अतिरिक्त व्यवसाय पर एक अतिरिक्त लिपिक सह कम्प्युटर आपरेटर अतिरिक्त रखा जा सकेगा। परन्तु 4 से अधिक अतिरिक्त लिपिक सह कम्प्युटर ऑपरेटर नही रखे जा सकेगें। किन्तु जिन समितियों में प्रधानमंत्री उज्जवला योजनार्गत दुर्गम क्षेत्रीय वितरक है, उनके 01 सहायक समिति प्रबधक / लेखापाल तथा 01 लिपिक सह कम्प्युटर ऑपरेटर अतिरिक्त नियुक्त किया जा सकेगा।
2	वर्ग ब (3रू करोड से अधिक 6 करोड तक व्यवसाय)	1	1	2	2		
3	वर्ग स (01रू करोड से 03 करोड तक व्यवसाय)	1	1	2	1		
4	वर्ग द (01रू करोड से कम)	1	–	1	1		

5.1 उपर दर्शायी गई संख्या अधिकतम है। अतः उपरोक्त पदो में नवीन भर्ती जब अत्यंत आवश्यक हो तभी की जावे। इस हेतु व्यय भार उठाने में सोसायटी का वित्तीय रूप से सक्षम होना आवश्यक है। सक्षमता का अभिप्राय नाबार्ड द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों से है, किसी भी नवीन भर्ती, नियुक्ति संभागीय संयुक्त पंजीयक की तत्सम्बंध में लिखित पूर्व अनुमति से ही की जायेगी। समिति नवीन भर्ती के संबंध में आंकलन कर प्रस्ताव वित्तदायी बैंक के माध्यम से संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं को भेजेगा। वित्तदायी बैंक प्रस्ताव का परीक्षण कर अनुशंसा / अभिमत सहित संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं को भेजेगा। इस सेवानियम के प्रभावशील होने के पूर्व से ही नियोजित / सेवारत लिपिक को नवीन पद लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर पद पर समायोजित किया जा सकेगा।

5.2 यदि किसी सोसायटी में उपरोक्तानुसार दर्शाये गये संख्या से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, तो ऐसी स्थिति में दशाये गये कर्मचारी की संख्या से अधिक कर्मचारियो की छटनी करना अनिवार्य होगा। छटनी सर्वप्रथम कनिष्ठतम कर्मचारी जिसकी नियुक्ति क्रम में सबसे अंतिम में की गई हो ऐसे सेवायुक्तो की जायेगी। छटनी के फलस्वरूप सेवा से पृथक किये गये ऐसे सेवायुक्तों की नियुक्ति विकासखण्ड के भीतर कार्यरत अन्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में करने हेतु निम्नानुसार गठित कमेटी की अनुशंसा पर किया जाना अन्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में जहां उस वर्ग के पद रिक्त है, की जावेगी। गठित कमेटी की अनुशंसा ऐसी संस्थाओं के लिए बंधनकारी होगी।

01. जिले का उप/सहायक पंजीयक – अध्यक्ष
02. विकासखण्ड में कार्यरत वित्तदायी बैंक के शाखा प्रबंधक – सदस्य सचिव
03. विकासखण्ड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी –– सदस्य
04. प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष – सदस्य

5.3 सोसायटी के वर्तमान वर्गीकरण में यदि भविष्य में कोई परिवर्तन होता है,तो जिस वर्गीकरण में आयेगी, उसी वर्गीकरण के अनुरूप कर्मचारियों की अधिकतम संख्या तथा निश्चित वेतन निर्धारित की जायेगी।

5.4 यदि भविष्य में सोसायटी का वर्गीकरण वर्तमान वर्ग से निम्न के वर्ग में होता है, तो कर्मचारियों की अधिकतम संख्या में वर्गीकरण के अनुसार कमी करना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में आधिक्य (अतिशेष) कर्मचारियों की छंटनी करने का दायित्व सोसायटी के बोर्ड का होगा।

संवर्ग समिति प्रबंधक," समिति प्रबंधक के सम्बंध में निम्नलिखित प्रावधान होंगे :–

5.5 सोसायटी का वित्तदायी बैंक, बैंक संवर्ग के समिति प्रबंधक की पदस्थी किसी भी सोसायटी में पद रिक्त होने की दशा में करेगा।

5.6 इस सेवानियम के प्रभावशील होने के पूर्व में तत्समय प्रवृत्त अधिनियम ,ध नियम के उपबंधों के अंतर्गत नियुक्त/पदोन्नत कर्मचारी समिति प्रबंधक पद पर यथावत सेवारत रहेगें। परंतु सेवानिवृत्ति, पदच्युति,सेवा समाप्ति अथवा अन्य किसी भी प्रकार से समिति प्रबंधक का पद रिक्त होने पर समिति प्रबंधक पद पर वित्तदायी बैंक द्वारा बैंक संवर्ग स्तर के कर्मचारी की पदस्थी की जा सकेगी।

5.7 वित्तदायी बैंक द्वारा संवर्ग समिति प्रबंधक के पदों पर सीधी भर्ती किये जाने पर सोसायटी स्तर के उक्त पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सेवायुक्त तथा सोसायटी स्तर के कर्मचारियों में से भृत्य/चौंकीदार को छोड़कर ऐसे समस्त कर्मचारी जो सोसायटी स्तर पर किसी भी पद पर सेवा का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव रखते हो ऐसे सेवायुक्तों हेतु संवर्ग समिति प्रबंधको के रिक्त पदो पर सीधी भर्ती किये जाने पर कुल रिक्त पदो के कम से कम (50 प्रतिशत स्थान वित्तदायी बैंक द्वारा समिति के ऐसे सेवायुक्तो में से लेना अनिवार्य होगा।

नियम क. 06. भर्ती /भर्ती हेतु चयन कमेटी :

सोसायटी के कर्मचारियों की भर्ती वित्तदायी बैंक के संबंधित शाखा स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति सोसायटी के बोर्ड द्वारा की जायेगी। चयन समिति निम्नानुसार होगीः–

01. जिले के सहकारिता विभाग का प्रमुख–उप/सहायक पंजीयक	अध्यक्ष
02. संबंधित वित्तदायी बैंक के सी.ई.ओ. द्वारा नामांकित अधिकारी	सदस्य
03. संबंधित सोसायटी का अध्यक्ष	सदस्य
04. सोसायटी के बोर्ड द्वारा नामांकित दो संचालक	सदस्य
05. संबंधित सोसायटी का समिति प्रबंधक	संयोजक सदस्य

चयन समिति द्वारा. अनुशंसित/चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति किया जाना सोसायटी के बोर्ड के लिए बंधनकारी होगा, चयन समिति के सभी छः सदस्यों की उपस्थिति चयन के समय अनिवार्य होगी।

सोसायटी के रिक्त पदो पर सीधी भर्ती तभी की जावेगी जब सोसायटी स्तर पर पदोन्नति से रिक्त पद की पूर्ति हेतु पात्र कर्मचारी उपलब्ध न हो।

नियम क. 07 भर्ती हेतु योग्यता/पात्रता एवं अन्य शर्ते :–

7.1 सेवा नियम क्र. 4 में वर्गीकृत कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता/पात्रता एवं अन्य शर्ते निम्नानुसार होगी –

क.	पद	शैक्षणिक योग्यता
01	सहायक समिति प्रबंधक/लेखापाल	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, वाणिज्य संकाय में नातक को प्राथमिकता दी जायेगी।
02	लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	10 + 2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा डिप्लोमा इन कम्प्युटर एप्लीकेशन
03	विक्रेता	10 + 2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्युटर का ज्ञान
04	भृत्य/चौकीदार	आठवी कक्षा उत्तीर्ण

7.2 आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होगी ।

7.3 अनुसूचित जाति," अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग," महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट की पात्रता राज्य शासन के नियमों के अनुसार होगी।

7.4 सोसायटी के कार्यक्षेत्र के आवेदक, "अभ्यर्थी तथा सहकारी संस्थाओं में सेवा का अनुमवी को नियुक्ति में प्राथमिकता होगीं।

7.5 अभ्यर्थी मानसिक तथा शारीरिक रूप में स्वस्थ हो।

7.6 अन्य किसी भी सेवा नियोजन में गबन का आरोपी ना हों, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिये कार्यवाही जारी/पंजीकृत न हो, किसी न्यायालय से सजायाफ्ता न हो।

7.7 अधिनियम , नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी संचालक के कुटुम्ब का सदस्य न हों ।

7.8 नियुक्ति के पूर्व संबंधित थाने से पुलिस में आपराधिक रिकार्ड के सम्बंध में चरित्र सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

7.9 नियुक्ति के पूर्व संबंधित कर्मचारी से 25,000/ रूपये का एफ.डी.आर. सम्बधित शाखा के सोसायटी के पक्ष में जारी कर सोसायटी एवं कर्मचारी का संयुक्त नाम से लिया जाना अनिवार्य होगा। जिसे सोसायटी के रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाना होगा।

7.10 नियुक्ति के पूर्व सोसायटी के कार्यक्षेत्र के दो भू –स्वामी कृषकों की जमानत आवश्यक होगीं।

8.3 लेखापाल/सहायक समिति प्रबंधक की भर्ती के लिये कुल 100 अंक निर्धारित होंगें, जो निम्नानुसार होगा :–

(अ.) स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम 80 अंक दिये जायेगें अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 80 प्रतिशत अंक दिये जायेगें।

(ब) राज्य सहकारी संघ से सहकारी प्रबंध में पत्रोपाधि पाद्यकम डिप्लोमाधारी को कूल प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर अधिकतम 90 अंक दिये जायेंगे अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 10 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।

(स.) मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से वाणिज्य संकाय में स्नातक को 10 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे।

8.4 लिपिक सह कम्प्यूटर आपरेटर की भर्ती के लियें कुल 100 अंक निर्धारित होंगे, जो निम्नानुसार होगाः

(अ.) (10+2) हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर अधिकतम 75 अंक दिये जायेगें अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 75 प्रतिशत अंक दिये जायेगें।

(ब.) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर अधिकतम 20 अंक दिये जायेगें अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 20 प्रतिशत अंक दिये जायेगें।

(स.) राज्य सहकारी संघ से सहकारी प्रबंध में पत्रोपाधि पाठ्यकम डिप्लोमाघारी को कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर अधिकतम 5 अंक दिये जायेंगे अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 5 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।

8.5 विक्रेता की भर्ती के लिए कुल 100 अंक निर्धारित होगें जो निम्नानुसार होगा।

(अ.) आवेदक को (10+2) हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम 80 अंक दिये जायेगें अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 80 प्रतिशत अंक दिये जायेगें।

(ब.) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन के प्राप्त अंको के प्रतिशत पर अधिकतम 10 अंक दिये जायेगें अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 10 प्रतिशत अंक दिये जायेगें।

(स.) राज्य सहकारी संघ से सहकारी प्रबंध में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम डिप्लोमाधारी को कुल प्राप्त अंको के प्रतिशत पर अधिकतम 10 अंक दिये जायेगें अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 10 प्रतिशत अंक दिये जायेगें।

8.6 भृत्यु/चौकीदार की भर्ती के लिए कुल 100 अंक निर्धारित होगा जो आवेदक को योग्यता आठवी में प्राप्त अंको के प्रतिशत के बराबर अंक दिये जायेगें नव नियुक्त कर्मचारी नियुक्ति/भर्ती के पश्चात् प्रथम दो वर्षो तक परीवीक्षा के अधीन होगा। परीवीक्षा अवधि में सोसायटी का बोर्ड आवश्यकता अनुसार एक वर्ष की वृद्धि कर सकेगा। सम्बंधित सेवायुक्त का परीवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक पाये जाने पर ही आगामी वर्षो में वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता सेवानियत के प्रावधानो के अनुसार होगी।

नियम क्र. 09 कर्मचारियों का निश्चित वेतन :–

सोसायटी के कर्मचारियों हेतु निम्नानुसार निश्चित वेतन भत्ते तथा उसमें वार्षिक वृद्धि का निर्धारण किया जा सकेगा।

क्र.	पदनाम	मानदेय/निश्चित वेतन प्रतिमाह (रूपये)				वार्षिक वृद्धि	रिमार्क
		"अ" वर्ग	"ब" वर्ग	"स" वर्ग	"द" वर्ग		
1	**समिति प्रबंधक (गैर संवर्ग)**	15000	12500	10000	7500	500	इस निश्चत वेतन में वार्षिक वृद्धि स्थापना व्यय कार्यशील पूंजी का 2 प्रतिशत तथा सकल आय का 30 प्रतिशत की सीमा के भीतर होने पर की जा सकेगी।
	भत्ते (चिकित्सा भत्त रू. 100, मोबाईल 300 रू पेट्रोल रू. 300 आवास भत्ता योग = 1000 रू)	1000	1000	1000	1000		
2	**सहायक समिति प्रबंधक/लेखापाल**	8750	8125	7500	0	400	
	भत्ते (चिकित्सा रू. 100, मोबाईल 200, पेट्रोल 200 आवास 300 रू. कुल = 800रू)	800	800	800	0		
3	**लिपिक सह कम्प्युटर ऑपरेटर**	8750	8125	7500	6875	400	
	भत्ते (चिकित्सा रू. 100, आवास 200 रू. कुल = 300रू)	300	300	300	300		
4	**विक्रेता**	6250	6250	6250	6250	350	
	भत्ते (चिकित्सा रू. 100, आवास 200 रू. कुल = 300रू)	300	300	300	300		
5	**भृत्य/चौकीदार**	5000	5000	5000	5000	250	
	भत्ते (चिकित्सा रू. 100, आवास 100 रू. कुल = 200रू)	200	200	200	200		

टीप :– सोसायटी में पूर्व में प्रभावशील सेवानियम 2012 की कण्डिका 09 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान क्षमता के आधार पर सेवायुक्तों के मानदेय/वेतन में वृद्धि के फलस्वरूप यदि सोसायटी के सेवायुक्तों को उपरोक्तानुसार निर्धारित निश्चित वेतन से अधिक पारिश्रमिक/ (निश्चित वेतन) का भुगतान इस सेवानियम के प्रभावशील होने के पूर्व से ही किया जा रहा हो और यदि सोसायटी संचित हानि में नही हो तथा स्थापना व्यय कार्यशील पूंजी 2% तथा सकल आय का 30% के भीत्तर हो तो उनके द्वारा प्राप्त किये जा रहे निश्चित नहीं की जायेगी, किसी भी दशा में सोसायटी का स्थापना व्यय उपरोक्त मानदण्डों के भीतर हो यह करने का दायित्व सम्बंधित सोसायटी के बोर्ड की होगी। सोसायटी के वर्गीकरण में परिवर्तन के सेवा युक्तो के निश्चित वेतन में उपरोक्तानुसार दर्शित वर्ग के अनुसार निश्चित वेतन प्राप्त करने की पात्रता होगी।

9.1 वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता, उन्हीं सेवायुक्तों को होगी, जिन्होनें सोसाइटी में कैलेण्डर वर्ष में लगातार छः मास से अधिक कार्य किया है।

9.2. सोसायटी द्वारा सेवायुक्तों के निश्चित वेतन/पारिश्रमिक को पुनरीक्षित करने का निर्णय तत्संबंध में सोसायटी की वित्तीय स्थिति (सक्षमता/भुगतान क्षमता) के आधार पर सोसायटी के बोर्ड में उक्ताशय का निर्णय पारितकर संभागीय संयुक्त पंजीयक की लिखित अनुशंसा पर पंजीयक द्वारा किया जावेगा। सोसायटी की निम्नलिखित शर्तो को पूरा किये जाने की दशा में ही निश्चित वेतन को पुनरीक्षित कर सकेगी :–

(क) सोसायटी के अंकेक्षित लेखों के अनुसार लगातार तीन वित्तीय वर्षो में शुद्ध लाभ अर्जित किया गया हो तथा विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय का अभिज्ञान एवं आस्तियों का वर्गीकरण संबंधी सोसायटी पर लागू मानदण्डों के अनुसार समस्त प्रकार के गैर निष्पादित/अनर्जक आस्तियों हेतु अपेक्षित प्रावधान कर लिया गया हो।

(ख.) सोसायटी विगत तीन वर्षो से लगातार संचित लाभ में हो।

(ग.) सोसायटी का विगत तीन वर्षो में जोखिम भारित आस्तियों पर पूँजी का अनुपात (सी. आर.ए.आर.) धनात्मक 7 या उससे अधिक अथवा नाबार्ड द्वारा तत्संबंध में न्यूनतम पूँजी की आवश्यकता संबंधी मानदण्डों के अंतर्गत वित्तीय रूप से जीवनक्षम होने के लिए समय–समय पर निर्धारित किया जाए।

(घ.) सोसायटी का स्थापना व्यय विगत तीन वर्षो में सकल आय का 30% तथा कार्यशील पूँजी का 2% से अधिक न हो।

(ड.) सोसायटी का प्रबंधकीय व्यय (लेनदेन लागत) विगत तीन वर्षों में सकल आय का 50 प्रतिशत से अधिक नही हो। उपरोक्त शर्तों के अधीन सोसायटी के बोर्ड द्वारा सेवायुक्तों के निश्चित वेतन का पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में संभागीय संयुक्त पंजीयक की अनुशंसा पर पंजीयक सहकारी संस्थाएं, द्वारा किया जा सकेगा।

प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में सोसायटी के प्रबंधक द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं की जानकारी अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों के आधार पर तैयार कर बोर्ड की बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा एवं पात्रतानुसार/नियमानुसार सोसायटी का बोर्ड सेवायुक्तों के निश्चित वेतन में कमी के संबंध में निर्णय ले सकेगा। यदि सोसायटी किसी वित्तीय वर्ष में संचित हानि पर आ जाती है तथा स्थापना व्यय कार्यशील पूंजी से 2 प्रतिशत तथा सकल आय का 30 प्रतिशत से अधिक हो तो सोसायटी का बोर्ड सेवायुक्तों के मौजूदा निश्चित वेतन /पारिश्रमिक में अनुपातिक रूप से कमी करने का निर्णय लेगी जिससे कि, स्थापना व्यय का भार उपरोक्त निर्धारित मानदण्डों के भीतर रखा जाना सम्भव हो सके।

नियम क. 10 पदोन्नति :–

सोसायटी के रिक्त पदों की पूर्ति, निर्धारित अर्हताए धारण करने पर कर्मचारियों की पदोन्नति नियमानुसार स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन दी जा सकेगी :–

10.1 सोसायटी कर्मचारी पदोन्नति के पद हेतु सेवा नियम में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखता हो।

10.2 पदोन्नति हेतु कर्मचारी की कम से कम 5 वर्ष की लगातार सेवा सोसायटी में आवश्यक होगी।

10.3 पदोन्नत होने वाले कर्मचारी के विरूद्ध कोई गबन/धोखाघडी से सबंधित कोई प्रमाणित शिकायत/ जांच के लिये शिकायत लंबित न हो,साथ ही उस कर्मचारी को विगत तीन वर्षा में दण्डित करने की कार्यवाही न की गई हो।

10.4 कर्मचारियों की वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर दी जावेगी।

10.5 पदों पर पदोन्नति हेतु सोसायटी की प्रंबधकारिणी/बोर्ड सक्षम होगा, प्रत्येक कर्मचारियों द्वारा वर्ष है किये गये कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा।

क्र.	पद का नाम	पद जिसमें पदोन्नति किया जाना है
1	लिपिक सह कम्प्युटर ऑपरेटर	लेखापाल/सहायक समिति प्रबंधक
2	विक्रेता	लिपिक सह कम्प्युटर आपरेटर
3	भृत्य/चौकदार	विक्रेता

बोर्ड द्वारा सेवायुक्तों की गई पदोन्नति के निर्णय का बैठक कार्यवाही वृत्त संभागीय संयुक्त पंजीयक को प्रेषित कर, पदोन्नति का अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

नियम क्रमांक 11 बोनस, एक्सग्रेशिया :–

सोसायटी के सेवायुक्तों को वित्तीय वर्ष में एक बार बोनस/एक्सग्रेशिया भुगतान का निर्णय सोसायटी के वित्तीय रूप से सक्षम पाये जाने पर लिया जा सकेगा। कर्मचारियों को उत्कृष्टतम् प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन से सोसायटी का बोर्ड निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने की दशा में बोनस/एक्सग्रेशिया संदाय की घोषणा कर सकेगी।

(क) सेवायुक्तों को वित्तीय वर्ष में बोनस/एक्सग्रेशिया का संदाय करने के मामले में निश्चित वेतन में पुनरीक्षण संबंधी उल्लेखित शर्ते क्रमाक 01 से 05 तक पूरा करना अनिवार्य होगा।

(ख) सोसायटी द्वारा विगत तीन वर्षो से संचित लाभ पर हो तथा सी.आर.ए.आर. + 7% से अधिक हो।

(ग) सोसायटी के कुल व्यवसाय (ऋण+अग्रिम+अमानत) में गत वर्ष की तुलना में अंकेक्षित वित्तीय पत्रक अनुसार वित्तीय वर्ष में कम से कम 10% वृद्धि हुई हो।

(घ) सोसायटी के ऋण वसूली का प्रतिशत वित्तीय वर्ष में कम से कम 80% हो।

(ड) ऋण व्यवसाय तथा बचत बैंक कारोबार में असंतुलन की स्थिति न हो। अर्थात आस्तियों की तुलना में देयताएँ. अधिक न हो।

उपरोकक्तानुसार शर्तो को पूरा करने पर सोसायटी का बोर्ड सेवायुकतों को एक माह के निश्चित वेतन के बराबर बोनस/एक्सग्रेसिया की राशि का भुगतान करने का निर्णय पारित कर सकेगी। परन्तु सेवायुक्तों को किसी वित्तीय वर्ष में बोनस/एक्सग्रेशिया का संवितरण करने के पूर्व संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार की तत्संबंध में लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नियम क. 12 अंशदायी भविष्यनिधिः–

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की परिधि में आने की दशा में सेवानियमों में वर्णित भुगतान क्षमता के आधार पर सक्षमता होने पर संस्था अपने कर्मचारियों के लिये कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के आधीन अंशदायी भविष्यनिधि योजना लागू कर सकेगी ।

नियम क. 13 अवकाश :–

13.1 आकस्मिक अवकाश :–

(क) कर्मचारी 1 कैलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का अवकाश ले सकेगा। किसी भी कर्मचारी की एक समय में 5 दिवस से अधिक का अवकाश नहीं दिया जावेगा। घोषित अवकाश एवं रविवार

आकस्मिक अवकाश के प्रांरभ मध्य एवं अंत में जुड सकतें है, परन्तु इन्हे जोडते हुए कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि 8 दिवस से अधिक नहीं होगी।

(ख) आकस्मिक अवकाश अन्य अवकाश के साथ नही जोडा जावेगा।

(ग) आकरिमिक अवकाश की गणना कैलेण्डर वर्ष के अनुसार होगी एंव वर्षान्त पर शेष आकस्मिक अवकाश समाप्त (Lapse) हो जाएगा।

13.2 चिकित्सा अवकाश :–

वर्ष कुल 5 दिवस का चिकित्सा अवकाश सोसायटी के कर्मचारियों को दी जा सकेगी ।

13.3 अवैतनिक अवकाश :–

युवायुक्तों को विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त 15 दिवस का अवैतनिक अवकाश दी जा सकेगी।

13.4 अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी :–

समिति प्रबंधक के अवकाश की रवीकृति हेतु सोसायटी का अध्यक्ष एवं शेष कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति के लिये सोसायटी का समिति प्रबंधक सक्षम अधिकारी होगा।

अवकाश हेतु प्रकिया :–

(क). कोई भी कर्मचारी अधिकार के रूप में किसी भी अवकाश का हकदार नही होगा किसी कर्मचारी को अवकाश यदि वह देय हो,स्वीकृत करना पूर्णतया सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा, यदि सेवा की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक हुआ तो स्वीकृत किया गया अवकाश निरस्त किया जा सकता है तथा कर्मचारी को काम पर वापस बुलाया जा सकता है।

(ख). कोई भी कर्मचारी सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना अपने कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा बीमारी या दुर्घटना की दशा में बिना शासकीय चिकित्सा अधिकारी अथवा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के चिकित्सा प्रमाण–पत्र के अनुपस्थित नही रहेगा ।

(ग). ऐसा कर्मचारी जो नकदी का भार रखता हो या जो शाखा,उपशाखा या अन्य कार्यालय का प्रभारी हो, सक्षम अधिकारी की लिखित में पूर्व स्वीकृति प्राप्त कियें बिना ना तो अपने पदस्थी स्थान से रात के समय में अनुपस्थित रहेगा और ना ही अवकाश के दिनो में मुख्यालय छोडेगा।

घ) कोई भी कर्मचारी अपने सक्षम अधिकारी अथवा निकटतम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना कार्यस्थल नही छोडेगा।

(ड.) अपने कार्य का कार्यभार (charge) दिये बिना कोई कर्मचारी किसी भी अवकाश पर नहीं जावेगा

(च) कोई भी कर्मचारी अवकाश पर जाने से पूर्व अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी को अवकाश की अवधि के अपने पते से अवगत करायेगा तथा अधिकारी के पास उसके द्वारा दिये गये पते में, यदि कोई परिवर्तन हो, तो संसूचित करेगा।

(छ). सोसायटी का कार्यालय निगोशियेबल इन्स्टूमेंट एक्ट के अधीन चोषित अवकाश के दिन बन्द रहेगा।

(द) विलंब से आने वाले कर्मचारी को उपस्थिति पंजी में विलंब से उपस्थित मार्क किया जावेगा व माह में तीन दिन देरी से आने के मार्क पर एक दिन आकस्मिक अवकाश या एक दिन का निश्चित वेतन/मानदेय काटा जावेगा।

नियम क. 14 प्रशिक्षण :– सोसायटी अपने कर्मचारियों के लिये उनके कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था अनिवार्यतः करेगा। प्रशिक्षण का व्यय सोसायटी स्वयं वहन करेगी एवं अपने वार्षिक बजट में प्रशिक्षण हेतु राशि का प्रावधान सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 19ड़ के उपबन्धो के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

नियम क.15 चौकीदार एवं भृत्य को वर्दी.–

यदि सोसायटी वित्तीय रूप से सक्षम हो तो वर्ष में एक बार चौकीदार,ध्भृत्य को वर्दी दिया जायेगा।

नियम क. 16 अनुशासनात्मक कार्यवाही –

16.1 कर्तव्य सूची मे दर्शाए गए कर्तव्यों का पालन समुचित ढंग से नही करने या कार्य में रूचि नही लेने, लापरवाही बरतने सोसायटी को आर्थिक नुकसान पहुचांने, बिना सूचना के अनुपस्थिा रहने, वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करने कर्तव्य स्थल पर मद्यपान की स्थिति में होने पर, अधिनियम "नियम उपविधियों के प्रावधानों का बार–बार अथवा जानबूझकर उल्लंघन करने पर संबंधित सेवायुकत के विरूद्ध कार्यवाही का निर्णय सोसायटी की कमेटी/बोर्ड द्वारा लिया जावेगा।

16.2 साधारण दुराचरण की श्रेणी में निम्नलिखित कृत्य होंगे :– सोसायटी के सेवायुक्तों के द्वारा कार्यालयीन समय पर कर्तव्य स्थल में उपस्थित नहीं होना, बिना अवकाश के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, ं कार्य की उपेक्षा करना इत्यादि कृत्य होंगे।

16.3 साधारण दुराचरण हेतु दण्ड (लघुशास्ति) :–

साधारण दुराचरण के लिये दोषी पाये गये कर्मचारी को उसके आचरण की गंभीरता के अनुसार में से कोई दंड दिया जा सकेगा :

01. परिनिन्दा
02. चेतावनी
03. उपेक्षा या आज्ञा उल्लंघन के परिणामस्वरूप बैंक या संस्था के हुये नुकसान की पूर्ति हेतु उसके वेतन से क्षति की पूर्ण राशि अथवा उसके अंश की वसूली करना।
04. संचयी अथवा असंचयी प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना।

16.4.. गंभीर दुराचरण अंतर्गत निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

बेईमानी, धोखाधड़ी, गबन, आर्थिक अनियमितता घोर उपेक्षा अथवा अपचार द्वारा अथवा अन्य किसी भी प्रकार से सोसायटी को आर्थिक हानि पहुँचाना अधिनियम/नियम/उपविधियों के प्रावधानों अथवा किसी अधिकारी के किसी विधिपूर्ण आदेश की जानबूझकर एवं बार–बार उल्लंघन करना, कर्तव्य स्थल पर मद्यपान की स्थिति मे रहना और उपद्रव करना इत्यादि। सोसायटी के सेवायुक्तों के द्वारा दुराचरण के प्रकरणों में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्णय सोसायटी के बोर्ड/कमेटी द्वारा किया जा सकेगा। किसी सेवायुक्त के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बंध में सोसायटी का बोर्ड आरोप तय कर आरोप पत्र तैयार कर, अपचारी कर्मचारी के कृत्यों की जांच करा सकेगा।

16.5 गंभीर दुराचरण हेतु दण्ड (दीर्घशास्ति/गंभीर दण्ड) :–

गंभीर दुराचरण के लिये दोषी पाये गये कर्मचारी को उसके द्वारा संस्था को पहुंचाये गये नुकसान की वास्तविक राशि की वसूली के अलावा उसके आचरण की गम्भीरता के अनुसार निम्नलिखित में से कोई एक दण्ड दिया जा सकेगा :–

01. वर्तमान धारित पद से निम्न श्रेणी में पदावनत करना एवं तद्नुसार वेतनमान निर्धारण करना, परन्तु ऐसी पदावन्नति उस पद से नीचे के पद पर नहीं की जा सकेगी। जिस पद से कर्मचारी द्वारा नौकरी प्रारंभ की गई है।
02. सेवा से पृथक करना (Termination) जो कि भावी नियोजन के लिये निरहता न होगा।
03. सेवा से पदच्युत (Dismisal) किया जाना जो कि भावी के लिये निरहता होगी।

16.6 सोसायटी कर्मचारियों के प्रकरण में वित्तदायी बैंक के शाखा प्रबंधक/पर्यवेक्षक से बोर्ड द्वारा जांच कराई जाकर जांच पश्चात दण्ड की कार्यवाही नियमानुसार बोर्ड द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

16.7 जांच की कार्यवाही अधिकतम तीन माह के अन्दर पूर्ण कर ली जावेगी तथा जांच उपरांत ऐसे विषय पर अधिकतम एक माह के भीतर निर्णय लिया जाना अनिवार्य होगा।

16.8 किसी भी सेवायुक्त के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही से सम्बंधित आयोजित बोर्ड की बैठक जिसमें 'उक्ताशय का निर्णय पारित किया जाना हैं, में शासकीय नामिती की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

16.9 दण्डात्मक कार्यवाही से व्यथित/पीडित कोई भी कर्मचारी कमेटी/बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध न्यायालयीन प्रकरण नियमानुसार सक्षम सहकारी न्यायालय में अधिनियम की धारा 55 के उपबन्धो के अधीन प्रस्तुत कर सकेगा।

16.10 छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53–ख की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी सेवायुक्त को दण्डित किये जाने पर ऐसे दण्डादेश का पालन कराने का दायित्व सम्बंधित सोसायटी के बोर्ड की होगी।

16.11 शिकायत प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार किसी भी कर्मचारी की जांच कराने हेतु सक्षम होगा, रजिस्ट्रार द्वारा कराये किसी भी जांच में रजिस्ट्रार के आदेश के अनुपालन में संबंधित सेवा युक्त के विरूद्ध कार्यवाही के लिये सोसायटी का बोर्ड बाध्यता के अधीन होगा।

16.12 दण्ड हेतु सक्षम अधिकारी –

किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध सेवा नियम अनुसार दण्ड देने के लिये कमेटी/बोर्ड सक्षम होगी। रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 53–ख के प्रावधानों के अंतर्गत दंडादेश पारित करने हेतु सक्षम होगा।

नियम क्र. 17 संस्था के कर्मचारी का निलंबन :–

01. ऐसे कर्मचारी को जिसके विरूद्ध गंभीर दुराचरण के लिये कार्यवाही की जा रही हो सोसायटी के बोर्ड द्वारा निर्णय पारित कर संभागीय संयुक्त पंजीयक की पूर्वानुमति से निलंबित किया जा सकेगा। ऐसा निलंबन आदेश लिखित रूप में होगा और कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा दिया जावेगा।
02. कर्मचारी को निलंबन अवधि मे निर्वाह भत्ते के रूप में निश्चित वेतन के आधे के बराबर निलंबन भत्ते का अधिकार होगा और वह बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा निलंबन अवधि में कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जावेगी वह जैसे ही और जब भी कहीं जाएगा, अपनी अनुपर्थिति की सूचना सक्षम अधिकारी को या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को देगा।
03. निलंबन अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी, निलंबन अवधि संचालक मण्डल के अनुमोदन से बढ़ाई जा सकती है परन्तु यह विस्तारित अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी। किंतु जांच अनिवार्य रूप से तीन माह के भीतर कर ली जावे। यदि जांच करने पर कर्मचारी अंशतः या पूर्णतः दोषी पाया जावे तो उसे नियम अनुसार दण्ड दिया जा सकेगा और वह निलंबन अवधि में दिये गये भत्ते को छोडकर अन्य किसी भी प्रकार के वेतन का अधिकारी नहीं होगा।

नियम क. 18 सेवानिवृत्ति की आयु :–

सभी पदों हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित होगी ।

नियम क. 19. कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा :–

19.1 सोसायटी कर्मचारियों शासन द्वारा संचालित अटल पेंशन योजना अथवा नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत शामिल होगा। योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। सोसायटी का बोर्ड कर्मचारी की सहमति के आधार पर योजना में शामिल होने की दशा में 100 रूपये प्रतिमाह प्रति कर्मचारी के मान से अंशदान करेगा।

19.2 सोसायटी कर्मचारियों के अश्रितों की आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से सोसायटी द्वारा प्रत्येक कर्मचारियों की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत रू. 2.00 लाख तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनांतर्गत रू. 2.00 लाख का बीमा कराया जायेगा। उक्त बीमा के प्रिमियम का भुगतान संबंधित सोसायटी द्वारा करते हुए बीमा प्रब्याजि का व्ययभार वहन किया जायेगा, उक्त बीमा कराने की जवाबदारी सम्बंधित सोसायटी के बोर्ड तथा समिति प्रबंधक की संयुक्त रूप से होगी।

19.3 गबन/घोटाले के आरोप के फलस्वरूप किसी सेवायुक्त को सेवायुक्त करने की कार्यवाही सोसायटी द्वारा किये जाने की दशा में सिक्योरिटी डिपाजिट की राशि सोसायटी के पक्ष में राजसात की जा सकेगी, सिक्योरिटी डिपाजिट कराने की जवाबदारी सम्बंधित सोसायटी के अध्यक्ष तथा प्रबधंक की संयुक्त रूप से होगी।

नियम क. 20. व्यक्तिगत नस्तीः–

सोसायटी द्वारा सभी सेवायुक्तों की व्यक्तिगत नस्ती संधारित की जावेगी जिसमें नियुक्ति आदेश, अवकाश लेखा स्थानांतरण वार्षिक वेतन वृद्धि सेवा सत्यापन वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन, चल–अचल सम्पत्तियो की जानकारी, पेंशन योजना में जमा राशि की अद्यतन जानकारी तथा कर्मचारी से संबंधित समस्त अभिलेख सुरक्षित रखा जायेगा।

उक्त अभिलेखों की एक सत्यप्रति संबंधित सोसायटी के अतिरिक्त वित्तदायी बैंक की शाखा तथा संभागीय संयुक्त पंजीयक के कार्यालय में भी संधारित किया जायेगा।

उपरोक्त अभिलेखों के संधारण की सम्पूर्ण जवाबदारी सोसायटी के समिति प्रबंधक तथा संबंधित बैंक की शाखा के शाखा प्रबंधक की संयुक्त रूप से होगी।

नियम क. 21. अचल सम्पत्ति :–

प्रत्येक सेवायुक्त को नियुक्ति के समय तथा प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के प्रारंभ में उसके स्वयं के तथा निकटतम नातेदारों द्वारा धारित चल तथा अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कर्मचारी द्वारा जानकारी 31 दिसम्बर की स्थिति में आगामी 34 जनवरी तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावेगी, जिसकी प्रति संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा जिले के प्रभारी उप/सहायक पंजीयक को 15 फरवरी तक प्रेषित की जावेगी । अचल सम्पत्ति की जानकारी के अभाव में किसी भी सेवायुक्त के पदोन्नति के संबंध में विचार नही किया जावेगा ।

नियम क. 22 अनुकंपा नियुक्ति :–

किसी भी सेवायुकत के सेवाकाल में मृत्यु की दशा में सेवायुक्त के परिवार के आश्रित सदस्य को सोसायटी तत्समय भृत्य पद रिक्त होने की दशा में नियमानुसार तथा पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जा। परन्तु अनुकम्पा नियुक्ति के लिए सोसासटी का बोर्ड तत्सम्बंधी आवश्यक कार्यवाही संभागीय संयुक्त पंजीयक की लिखित अनुमति से ही कर सकेगी।

नियम क. 23. कर्मचारियों को ऋण सुविधाः–

सोसायटी के किसी सेवायुक्त द्वारा ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर सोसायटी के बोर्ड में पारित संकल्प द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर सोसायटी के किसी भी सेवायुक्त को विभिन्न कार्यो हेतु व्यक्तिगत मध्यम कालीन ऋण 1.50 लाख रूपयें (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) की सीमा के भीतर वित्तदायी सहकारी बैंक द्वारा संबंधित कर्मचारी की ऋण अदायगी क्षमता का आंकलन कर बैंक में प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा।

नियम क. 24. कर्मचारियो का आदान–प्रदानः–

समान पदघारी सेवायुकतों के सेवाओ का आदान–प्रदान राजस्व संभाग की सीमा के भीतर संबंधित दोनो ही कर्मचारियों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर किसी भी दो सोसायटियों के बोर्ड द्वारा तत्सबंध मे पारित निर्णय के अनुसार आपस में किया जा सकेगा। परन्तु इस संबंध में संभागीय संयुक्त पंजीयक की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। संबंधित दोनो ही कर्मचारियों का आवेदन पत्र तथा नियोक्ता सोसायटियों के बोर्ड की आपसी सहमति सम्बंधित प्राप्त आवेदन के आधार पर कर्मचारियों के सेवाओं का आदान–प्रदान का आदेश संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा पारित किया जायेगा। उक्त आदेश का अनुपालन करना दोनो ही सोसायटियो के लिए बाध्यकारी होगा।

नियम क. 25 वार्षिक कार्य योजना :–

सोसायटी का समिति प्रबंधक प्रतिवर्ष वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेगा वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार सोसायटी के सेवायुक्तों को कर्मचारीवार त्रैमासिक लक्ष्य प्रदत्त किया जायेगा। प्रदत्त लक्ष्यों के विरूद्ध पूर्ति की समीक्षा प्रत्येक त्रैमास में सोसायटी के बोर्ड द्वारा की जायेगी। कार्ययोजना के प्रमुख विषय वस्तु निम्नलिखित होंगे :–

01. सोसायटी के कार्यक्षेत्र में निवासरत कृषक परिवारों की संख्या तथा कृषक परिवार को सोसायटी से जोड़ते हुए सदस्यता वृद्धि का लक्ष्य ।
02. अऋणी सदस्यों को ऋणी सदस्य बनाने का लक्ष्य।
03. अमानतों में वृद्धि हेतु अमानत संग्रहण का लक्ष्य।

04. ऋणी वसूली में वृद्धि हेतु ऋण वसूली में वृद्धि का लक्ष्य ।

05. ऋण वितरण में वृद्धि हेतु ऋण वितरण का लक्ष्य।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कर्मचारियों को प्रदत्त लक्ष्य के विरूद्ध पूर्ति के आधार पर उनके कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा।

सोसायटी कार्ययोजना अंतर्गत एन.पी.ए. के प्रतिशत में कमी, व्यवसाय तथा लाभप्रदता में वृद्धि, स्थापना तथा प्रबंधकीय व्यय में कमी, स्वंय की पूंजी में वृद्धि इत्यादि हेतु वर्ष में किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यो का समावेश वार्षिक कार्ययोजना में किया जायेगा। कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर प्रतीकात्मक रूप से पुरूस्कार देकर सम्मानित किया जायेगा।

नियम क. 26 प्रकीर्णः–

सोसायटी के कर्मचारी सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये विधिपूर्ण आदेशो/निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यता के अधीन होगें। सेवानियम के किन्ही उपबंधों के सबंध में रजिस्ट्रार समय–समय पर निर्देश तथा स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा। इस सेवानियम के प्रावाधानो का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जवाबदारी सम्बंधित सोसायटी के अध्यक्ष तथा समिति प्रबंधक की संयुक्त रूप से होगी।

नियम क्र. 27 निरसर तथा व्यावृत्तियां –

इस सेवा नियम के प्रभावशील होने की तारीख्रा से पूर्व में प्रभावशील कर्मचारी सेवानियम 2012 निरसित हो जायेगा। परन्तु पूर्व में प्रभावशील सेवानियम के प्रावधानों अंतर्गत कि गई समस्त कार्यवाहियाँ वैध/ विधिमान्य होंगी।

सही

(जे.पी. पाठक)

पंजीयक

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़